भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2406
दिनांक 06.08.2024 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के कार्य-निष्पादन की समीक्षा

2406. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रहीः
श्री कृपानाथ मल्लाहः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री

(प्रो. एस.पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख) 'पंचायत', 'स्थानीय शासन' होने के कारण, राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची का हिस्सा है। तदनुसार, पंचायतों का गठन और संचालन संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं के कार्य-निष्पादन की निगरानी मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।पंचायतों का कार्य-निष्पादन उन्हें राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित की गई शक्तियों और संसाधनों की सीमा पर निर्भर करता है। हालाँकि, पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करने के लिए निरंतर कदम उठाए हैं और समय-समय पर अध्ययनों, समीक्षा बैठकों, क्षेत्रों के दौरे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों, सामान्य समीक्षा मिशन आदि के माध्यम से, पंचायतों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करता रहता है।

मंत्रालय ने उपयोगकर्ता के अनुकूल एक वेब-आधारित पोर्टल ईग्रामस्वराज (https://egramswaraj.gov.in) शुरू किया है, जिसका उद्देश्य विकेंद्रीकृत योजना, प्रगति रिपोर्टिंग, वित्तीय प्रबंधन, काम-आधारित लेखांकन और निर्मित संपत्ति के विवरण में बेहतर पारदर्शिता लाना है। इसके अलावा, पंचायत खातों की समय पर ऑडिट, यानी ग्राम पंचायतों की प्राप्तियां और व्यय, सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय ने एक ऑनलाइन एप्लिकेशन–ऑडिटऑनलाइन (https://auditonline.gov.in) शुरू किया है। यह एप्लिकेशन न केवल पंचायत खातों की ऑडिटिंग की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि ऑडिट रिकार्ड के रख-रखाव की सुविधा भी प्रदान करता है। यह एप्लिकेशन ऑडिट पूछताछ, ड्राफ्ट स्थानीय ऑडिट रिपोर्ट, ड्राफ्ट ऑडिट-पैरा आदि के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है और इस प्रकार पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए पंचायतों द्वारा खातों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करता है।

****